मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद्

(पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधीन गठित पंजीकृत संस्था)

59 "सी" विंग, द्वितीय तल, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल

क्रमांक/ 10457 /NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल, दिनांक 05/11 /11

प्रति,

कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
जिला झाबुआ, श्योपुर, पन्ना, उज्जैन, सिंगरौली, बड़वानी
(म.प्र.)

विषयः-वित्त वर्ष 2011-12 में मनरेगा अंतर्गत राशि जारी करने के संबंध में।
संदर्भः-इस कार्यालय का पत्र कमांक 9622 एनआरईजीएस एमपी-एनआर-4 / 2011 भोपाल दिनांक 03.10.2011

--00--

विषयांतर्गत मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् को आपके जिलों को राशि जारी करने के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए है। राशि जारी करने के पूर्व परिषद् स्तर पर "एप्राईजल कमेटी" की बैठक में आपके प्रस्ताव को विचारार्थ रखा जायेगा।

अतः आपके जिले के अतिरिक्त जिला कार्यकम समन्वयक एवं कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संदर्भित परिषद के उर्पयुक्त पत्र का पालन करते हुये निम्न जानकारी के साथ पर्यावास भवन स्थित परिषद् कार्यालय में दिनांक 11/11/2011 को प्रातः 11 बजे उपस्थित हों ।

1. मनरेगा अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति।
2. फार्म बी-16 एवं 17 में वांछित अभिलेख एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र।
3. 5 कि.मी. दायरे में भुगतान हेतु जिले में की जा रही मेपिंग की प्रगति रिपोर्ट।
4. जिलों द्वारा वर्ष 2010-11 की सी.ए. आडिट की अंतिम रिपोर्ट।
5. भारत सरकार एवं गंभीर शिकायतों पर पालन प्रतिवेदन।
6. लंबित विधानसभा प्रश्न एवं आश्वासनों की जानकारी।
7. मनरेगा समस्या शिविरों से संबंधी कार्यवाही एवं निराकरण की स्थिति।
8. अन्य कोई जानकारी या सुझाव जो आप देना चाहें।

भारत सरकार की शिकायतें एवं विधानसभा संबंधी आश्वासन की जानकारी न आने पर राशि जारी नहीं की जायेगी।

इसी के साथ आयुक्त पंचायत से संबंधित निम्न जानकारी भी मीटिंग के दिवस पर साथ लेकर आए ताकि आयुक्त पंचायत इसको प्राप्त कर सकें।

7. 12 वें व 13 वें वित्त के उपयोगिता प्रमाण-पत्र
8. राज्य वित्त आयोग के उपयोगिता प्रमाण-पत्र
9. विधान सभा एवं अपूर्ण प्रश्नों की जानकारी।

जानकारी पॉवरपाइंट प्रेजेंटेशन में भी प्रस्तुत की जानी है अतः तत्संबंधी आवश्यक तैयारी के साथ संबंधित अधिकारी उपस्थित रहें। यह भी लेख किया जाता है कि दिनांक 08.11.2011 तक पॉवर पाईट प्रेजेंटेशन की जानकारी ई-मेल से निम्न आई डी पर भेजी जाये jcfinance_nreg@rediffmail.com ।

(एच. रहमान) 5/11
संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल

E:\Ale-Jcfin\SEA\Nemi Ecr\Letter, Notesheet\NERGS-MP-Letter-JCFA-2011-12.doc

पृ.क्रमांक/10458/NREGS-MP/वित्त एवं लेखा/2011 भोपाल,दिनांक 05/11/11

प्रतिलिपि --

1. प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर सादर सूचनार्थ ।
2. आयुक्त पंचायतराज संचालनालय की ओर भेजकर कृपया अनुरोध है कि उपुर्यक्त दिनांक को बैठक में उपस्थित होने हेतु कष्ट करें सादर सूचनार्थ।
3. श्री बृजेश कुमार उपसचिव पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग की ओर भेजकर अनुरोध है कि कृपया बैठक में भाग लेने का कष्ट करें सादर सूचनार्थ।
4. मुख्य अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विन्ध्याचल भवन भोपाल, मुख्य अभियंता मनरेगा, संयुक्त आयुक्त प्रशासन मनरेगा, संचालन जन शिकायत प्रकोष्ठ मनरेगा, सिस्टम एनालिस्ट मनरेगा, संयुक्त आयुक्त मनरेगा की ओर भेजकर अनुरोध है कि उपर्युक्त बैठक में भाग लेने का कष्ट करें।
5. स्टेार प्रभारी मनरेगा परिषद् मुख्यालय भोपाल की ओर भेजकर अनुरोध है कि संबंधित बैठक की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक संबंधित जिलों की ओर सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु।

5/11/11

संयुक्त आयुक्त (वित्त एवं लेखा)
म.प्र. राज्य रोजगार गारंटी परिषद
मुख्यालय भोपाल